सत्यमेव जयते

अष्टादश

बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 04 फाल्गुन, 1947 (श०) / 23 फरवरी, 2026 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या 13

(1)	गन्ना उद्योग विभाग	-	-	03
(2)	सामान्य प्रशासन विभाग	-	-	03
(3)	गृह विभाग	-	-	03
(4)	सूचना प्रावैधिकी विभाग	-	-	01
(5)	वित्त विभाग	-	-	02
(6)	उद्योग विभाग	-	-	01
			कुल योग --	13

शिक्षा ऋण

''क''-43. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--दैनिक समाचार-पत्र में दिनांक 19 जनवरी, 2026 के अंक में प्रकाशित शीर्षक ''शिक्षा ऋण नहीं मिलने से 5 हजार विद्यार्थियों का नाम कटने का खतरा'' को ध्यान में रखते हुये क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना अन्तर्गत राज्य के 5254 छात्र-छात्राओं के बैंक खाते में स्वीकृत राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से स्थानांतरित नहीं हुई है, जिससे छात्र-छात्राओं का शैक्षणिक संस्थानों से नाम कटने का खतरा मंडरा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्र-छात्राओं के खाते में बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम द्वारा स्वीकृत राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से स्थानांतरित कराने का विचार कबतक रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

63. श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह (क्षेत्र संख्या-16 कल्याणपुर)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2024-25 में चतुर्थ रोड मैप अन्तर्गत गन्ना विकास हेतु कुल 68.91 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ;

(2) क्या यह बात सही है कि गन्ना उद्योग विभाग द्वारा मात्र 19 करोड़ रुपये व्यय किया गया, जो लक्ष्य के विरुद्ध कम है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इसके लिए दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

64. श्री तारकिशोर प्रसाद (क्षेत्र संख्या-63 कटिहार)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में मंदिर की घेराबंदी/चहारदीवारी हेतु बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद् से निबंधित होना आवश्यक है, जिससे अनिबंधित मंदिर की घेराबंदी नहीं हो पा रही है, यदि हाँ, तो सरकार उक्त शर्त को हटाकर अनिबंधित मंदिरों की भी घेराबंदी कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कैदियों की रिहाई

65. श्री कुमार सर्वजीत (क्षेत्र संख्या-229 बोधगया)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में उम्र कैद की सजा काट रहे कैदी अगर 22 वर्ष की साफ सुथरी सजा काट चुके हैं और वृद्ध हैं तो उन्हें बिहार राज्य सजा रिवीजन बोर्ड की अनुशंसा पर रिहा करने का प्रावधान है ;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में सेंट्रल जेल गयाजी में बंद गयाजी जिला के अतरी प्रखंड के माधो बिगहा गाँव के राजेन्द्र प्रसाद यादव जैसे कई ऐसे कैदी हैं जो इस अर्हता को पूरा करते हैं लेकिन रिहा नहीं हो रहे हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राजेन्द्र प्रसाद यादव सहित ऐसे सभी कैदियों को कबतक रिहा करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

नोट--'क'-दिनांक 17 फरवरी, 2026 को सदन द्वारा वित्त विभाग में स्थानांतरित ।

एफ0एस0एल0 चालू कराने

66. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में मात्र चार ही फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफ0एस0एल0) सक्रिय है, जबकि लगभग 14 करोड़ आबादी वाले इस राज्य के प्रत्येक जिला में कम-से-कम एक फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (एफ0एस0एल0) नहीं होने से पुलिस को सटीक आपराधिक रिपोर्ट बनाने में परेशानी होती है तथा आपराधिक घटनाओं की रिपोर्ट आने में काफी देर लगता है, यदि हाँ, तो सरकार कबतक राज्य के प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी स्थापित कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ऑनलाइन गेमिंग का नियंत्रण

67. श्री समीर वर्मा (क्षेत्र संख्या-09 सिकटा)--क्या मंत्री, सूचना प्रावैधिकी विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में हालिया शोध और WHO के आँकड़े के अनुसार बच्चों का स्क्रीन टाइम काफी बढ़ गया है, यह समस्या केवल आज ही नहीं, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है ;

(2) क्या यह बात सही है कि अत्यधिक मोबाइल उपयोग और ऑनलाइन गेम्स बच्चों के विकसित होते दिमाग को नष्ट कर रहा है, जिससे उनमें एकाग्रता की कमी और आक्रामकता बढ़ रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार एक निश्चित आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम और ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित करने हेतु कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

68. श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वर्ष 2025-26 गन्ना विभाग के बजट के अनुसार राज्य में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के प्रथम छमाही में वार्षिक साख योजना (ए0सी0पी0) के तहत कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित लक्ष्य 1,12,000 करोड़ की तुलना में मात्र 31,120 करोड़ रुपये ही किसानों को ऋण वितरित किये गये हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि एस0एल0बी0सी0 (SLBC) की निगरानी और नियंत्रण के बावजूद राज्य में बैंकों द्वारा खेती और किसानी की उपेक्षा की जा रही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कृषि क्षेत्र की उपेक्षा करने वाले बैंकों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

आयु सीमा की छूट

69. श्री देवेशकान्त सिंह (क्षेत्र संख्या-111 गोरेयाकोठी)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार में सरकारी सेवाओं एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों को अन्य आरक्षित वर्गों के समान अधिकतम आयु सीमा में कोई छूट प्राप्त नहीं है ;

(2) क्या यह बात सही है कि संसाधनों की कमी एवं आर्थिक दबाव के कारण ये अभ्यर्थी समय पर तैयारी पूर्ण नहीं कर पाते, जिससे वे अवसरों से वंचित रह जाते हैं तथा सवर्ण आयोग ने अपनी रिपोर्ट में EWS अभ्यर्थियों हेतु आयु सीमा 37 से बढ़ाकर 40 वर्ष करने की अनुशंसा की है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार EWS श्रेणी को आयु सीमा में 3 से 5 वर्ष की छूट देने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

70. श्री सतीश कुमार सिंह यादव (क्षेत्र संख्या-203 रामगढ़)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम, 1991 के अत्यंत पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूचित-1 के क्रमांक 115 में लोहार जाति को कमार जाति के उपजाति) अधिसूचित किया गया है जिसके कारण लोहार जाति के लोग विकास की मुख्य धारा से वंचित रह जाते हैं ;

(2) क्या यह बात सही है कि लोहार जाति मुख्य रोल धातु (मुख्यतः लोहा से औजार तथा घरेलू/कृषि उपकरण) बनाता है ;

(3) क्या यह बात सही है कि बिहार के खतियानों में लोहार एक स्वतंत्र जाति है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लोहार जाति से कमार के उपजाति से हटाकर स्वतंत्र रूप से अधिसूचित करने का कबतक विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

उपलब्धि हासिल करना

71. श्री मिथिलेश तिवारी (क्षेत्र संख्या-99 बैकुण्ठपुर)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम (बीज विकास) चलाया जाता है और त्रि-स्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 का वित्तीय लक्ष्य 2465.00 (लाख) निर्धारित था, जबकि उपलब्धि 1601.06 (लाख) तक ही सीमित है ;

(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा निर्धारित 10 पहल कदमियों के बीच त्रि-स्तरीय बीज उत्पादन, वितरण, प्रशिक्षण इत्यादि कार्यक्रमों में विभागीय उदासीनता के कारण उपलब्धि में कमी हुई है, जिससे किसानों की आय और चीनी मिलों का उत्पादन प्रभावित हुआ है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि हासिल कबतक कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

गन्ना आधारित उद्योग लगाना

72. श्री प्रमोद कुमार (क्षेत्र संख्या-19 मोतिहारी)--क्या मंत्री, उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि मोतिहारी नगर में निजी मालिक के चीनी उद्योग, जो बन्द पड़ा है, जिसकी नीलामी भी न्यायालय द्वारा हुआ है, यदि हाँ, तो सरकार मोतिहारी में पुन: निजी या सरकारी स्तर पर गन्ना आधारित उद्योग कबतक लगाने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

ताँती/ततवा समाज को मूल जाति 'पान' जाती में लाने

73. श्री इन्द्रजीत प्रसाद गुप्ता (क्षेत्र संख्या-75 सहरसा)--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जातिगत सर्वे रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार में पान/ताँती समुदाय की आबादी लगभग 35 लाख से अधिक है जिसकी शैक्षणिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 1 जुलाई, 2015 से बिहार राज्य के ताँती/ततवा समुदाय के लोगों को उनके मूल जाति पान समाज में शामिल किया था, परन्तु नौ वर्षों के बाद सरकार ने दिनांक 15 जुलाई, 2024 के अधिसूचना के द्वारा ताँती/ततवा समुदाय को उनके मूल जाति पान समाज में सम्मिलित नहीं किया गया है, जिससे उक्त समाज के लाखों छात्र-छात्राओं को विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन एवं विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से अंतिम रूप से चयन में कठिनाई होती है, यदि हाँ, तो सरकार ताँती/ततवा समाज को पुन: उनकी मूल जाति 'पान' जाति में लाने के लिए कौन-सी कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

भौतिक वित्तीय लक्ष्य की प्राप्ति

74. श्री मंजीत कुमार सिंह (क्षेत्र संख्या-100 बरौली)--क्या मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के तहत किसानों को मिलने वाले गन्ना के साथ अन्तवर्ती खेती दलहन, तेलहन, मसाला, सब्जी बीज के लिए मिलने वाली अनुदान राशि एवं आधार बीज उत्पादन हेतु प्रोत्साहन राशि का खर्च प्रतिशत शून्य है ;

(2) क्या यह बात सही है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के आँकड़ों के सांख्यिकीय आधार पर त्रि-स्तरीय बीज उत्पादन कार्यक्रम गन्ना के चयनित प्रभेदों के प्रमाणित बीज, भूमि उपचार, पौधा संरक्षण, उर्वरक प्रबंधन का प्रदर्शन तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत निर्धारित वित्तीय लक्ष्य 4,900 (लाख रुपये में) के विरुद्ध अबतक 1399.40 (लाख रुपये में) ही खर्च हुए हैं, जो आवंटन का मात्र 28.55 प्रतिशत ही है ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो भौतिक वित्तीय लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि 28.55 प्रतिशत मात्र खर्च होने का क्या औचित्य है ?

पटना :
दिनांक 23 फरवरी, 2026 (ई0) ।

ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

बि0स0मु0 41(एल0ए0), 2025-26-डी0टी0पी0-600

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2026